

.....में दिनांक.....से.....तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया ।
नोट: यह प्रमाण—पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है ।
दिनांक :

.....
विशेष सचिव, नियोजन विभाग

परिशिष्ट–2
परीक्षा की योजना

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा–2026 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं । यथा:– (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की),

(2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा)

(3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

1. प्रारम्भिक परीक्षा

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा–2026 की प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी । जिनके उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. सीट के रूप में होंगे । प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित है । प्रत्येक प्रश्न—पत्र 200 अंकों के तथा दो—दो घण्टे अवधि के होंगे । दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे । प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाहन 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपरान्ह 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक ।

नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है । अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा । (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा ।

2. सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय:

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट–4 में उल्लिखित हैं ।

अनिवार्य विषय		
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक

नोट: सभी प्रश्न पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगे । इन प्रश्न—पत्रों के हल करने की अवधि 3 घन्टे होगी । अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न—पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा /साक्षात्कार (कुल अंक 100)

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी ।

परिशिष्ट–3

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र–1
(सामान्य अध्ययन— I)

अवधि—दो घण्टे
अंक — 200

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें

— भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

— भारत एवं विश्व का भूगोल— भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल

— भारतीय राजनीति एवं शासन— संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि

— आर्थिक एवं सामाजिक विकास—सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि

— पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है

— सामान्य विज्ञान

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें: राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी ।

— भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।

— भारत एवं विश्व का भूगोल: भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी । भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे ।

— भारतीय राजनीति एवं शासन—संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे ।

— आर्थिक एवं सामाजिक विकास— सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव

आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा ।

— पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन: इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है । अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।

— सामान्य विज्ञान: सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है ।

नोट: अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो ।

प्रश्नपत्र–2

सामान्य अध्ययन— I।

अवधि—दो घण्टे

अंक — 200

— काम्प्रिहेन्सन (विस्तारीकरण)

— अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा ।

— तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता ।

— निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान ।

— सामान्य बौद्धिक योग्यता ।

— प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक— अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी ।

— सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक ।

— सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक ।

प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

1. अंकगणित:

(1) संख्या पद्धति: प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय—अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें । पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध ।

(2) औसत

(3) अनुपात एवं समानुपात

(4) प्रतिशत

(5) लाभ—हानि

(6) ब्याज— साधारण एवं चक्रवृद्धि

(7) काम तथा समय

(8) चाल, समय तथा दूरी

2. बीजगणित :

(1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण

(2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिष्ठेद, अन्तर, समिमित अन्तर), बेन—आरेख

3. रेखागणित:

(1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल,

(2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ।

4. सांख्यिकी: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संचयी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप— समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ।

General English Upto Class X Level

1. Comprehension

2. Active Voice and Passive Voice

3. Parts of Speech

4. Transformation of Sentences

5. Direct and Indirect Speech

6. Punctuation and Spellings

7. Words meanings

8. Vocabulary & Usage

9. Idioms and Phrases

10. Fill in the Blanks

सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

(1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह

(2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ

(3) शब्द—रूप

(4) संधि, समास

(5) क्रियायें

(6) अनेकार्थी शब्द

(7) विलोम शब्द

(8) पर्यायवाची शब्द

(9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां

(10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)

(11) वर्तनी

(12) अर्थबोध

(13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ

(14) उ0प्र0 की मुख्य बोलियाँ

परिशिष्ट–4

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है।

3. यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्राप्तकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है।

4. अभ्यर्थी प्रश्न—पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न—पत्र का उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा।

5. प्रश्न—पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे।

6. सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न—पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

सामान्य हिन्दी

(1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग— (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एकशब्द, (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न—पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक—एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50—50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)	खण्ड (ख)	खण्ड (ग)
1. साहित्य और संस्कृति	1.विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी	1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. सामाजिक क्षेत्र	2. आर्थिक क्षेत्र	2.प्राकृतिक आपदाएं भू—स्खलन, भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि।
3. राजनैतिक क्षेत्र	3. कृषि उद्योग एवं व्यापार	3. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 01 से 06 तक के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन—।

- भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला—रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
- आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई0 से 1947 ई0 तक)— महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।
- स्वतंत्रता संग्राम— इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।
- विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
- भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
- महिला— समाज और महिला—संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
- विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण— जल,मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
- भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं— भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
- भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता।
- मानव प्रवास— विश्व की शरणार्थी समस्या— भारत— उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
- सीमान्त तथा सीमाएं— भारत उप— महाद्वीप के संदर्भ में।
- जनसंख्या एवं अधिवास— प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण,स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

सामान्य अध्ययन—।।

- भारतीय संविधान— ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- केन्द्र—राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
- शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रो का उदय एवं उनका प्रयोग।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका— संरचना, कार्य, कार्य—संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य— सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पी0आई0एल0)।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध—न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत— उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0)।
- विकास प्रक्रियाएं—गैर सरकारी सगंठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य— निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई—गवर्नेंस—अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच— उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
- क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

सामान्य अध्ययन—।।।

- भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एन0आई0टी0आई0) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0)।
- गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
- सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
- प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, दुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई—तकनीकी।
- अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली—उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभियान।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग—कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
- भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
- आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन मेंअनुप्रयोग।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकि उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, ऊर्जा स्त्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन।
- आपदा: गैर—पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा शमन एवं प्रबन्धन।
- अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ : आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
- भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां: आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध।
- सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
- कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

सामान्य अध्ययन— IV

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः सम्बन्ध**, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम : नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य—महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति**: अर्तवस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
- सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर— तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा।
- संवेगात्मक बुद्धि**: अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
- लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र**: स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों तथानिधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी**: लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान—प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक—निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सामान्य अध्ययन— V

- उ0प्र0 का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।
- उ0प्र0 की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख—रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।
- भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उ०प्र० का योगदान।
- उ0प्र0 के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।
- उ0प्र0 में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे: सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
- उ0प्र0 की राजव्यवस्था—शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र—राज्य सम्बन्ध।
- उ0प्र0 में लोक सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।
- उ0प्र0—विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य

निर्वाचन आयोग। 9. उ0प्र0 में स्थानीय स्वशासन: शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे। 10. उ0प्र0—सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई—गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। 11. उ0प्र0 में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। 12.उ0प्र0 में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:— (i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध। (ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। (iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम। (iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार—पत्र। (v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध। 13. उ0प्र0 में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। 14. उ0प्र0 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। 15. उ0प्र0 में शिक्षा प्रणाली। 16. भारत के विकास में उ०प्र० की भूमिका। 17. उ0प्र0 की समसामयिक घटनाएँ। 18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन। 19. उ0प्र0 में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.): मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। 20. उ0प्र0 में पर्यटन: मुद्दे एवं सम्भावनायें। 21. उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक—आर्थिक विकास पर प्रभाव। सामान्य अध्ययन – VI 1. उ0प्र0 का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएँ, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्त्व। 2. उ0प्र0 का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। 3. उ0प्र0 सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। 4. उ0प्र0 में निवेश: मुद्दे एवं प्रभाव। 5. उ0प्र0 की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। 6. उ0प्र0 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर—नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन। 7. उ0प्र0 की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना। 8. उ0प्र0 में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। 9. उ0प्र0 की नवीन वानिकी नीति। 10. उ0प्र0 की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। 11. उ0प्र0 में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान। 12. उ0प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। 13. उ0प्र0 का भूगोल— भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।	14. उ0प्र0 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। 15. उ0प्र0 में परिवहन तंत्र। 16. उ0प्र0 में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। 17. उ0प्र0 में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य। 18. उ0प्र0 के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास—मैदान, आद्रभूमि। 19. उ0प्र0 के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे। 20. उ0प्र0 के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र—संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव—जन्तु एवं वनस्पतियां। 21. उ0प्र0 में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। 22. उ0प्र0 में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ०प्र० के विकास में इनका प्रभाव। 23. उ0प्र0 के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। परिशिष्ट—5 पदों की संगत सेवानियमावलियों का विवरण 1. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 2. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम अद्योग बोर्ड (समूह ‘क’ और ‘ख’) सेवा विनियमावली, 2005 (यथा संशोधित) 3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित) 5. उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 6. उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बाट तथा माप) सेवा नियमावली, 1981 7. उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) 8. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (खाद्य सुरक्षा संवर्ग) (समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) 9. उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) 10. उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली 2019 (यथा संशोधित) 11. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) 12. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 13. प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 14. उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह ‘क’ और ‘ख’) सेवा नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) 15. उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक सेवा नियमावली, 2015 16. उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 17. उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 18. उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2001 19. उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 20. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 (यथा संशोधित) 21. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह ‘‘क’’ और समूह ‘‘ख’’) सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित)
	सचिव